कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,

नई राजधानी पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग,

फायर ब्रिगेड कैम्पस, लोदीपुर, पटना।

-निविदा आमंत्रण सूचना

1. विज्ञापनदाता का नाम : कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी पथ प्रमंडल, पटना।
2. परिमाण विपत्र बिक्री का अंतिम तिथि और समय : 28.02.2017 को अपराहण 03:00 बजे तक।
3. निविदा प्राप्ति की तिथि और समय : 01.03.2017 को 03:00 बजे अपराह्न तक।
4. निविदा खुलने की तिथि और समय : 01.03.2017 को 03:30 बजे अपराह्न ।
5. परिमाण विपत्र बिक्री का स्थान एवं कार्यालय
   - (क) अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय अंचल, पथ निर्माण विभाग, पटना का कार्यालय।
   - (ख) कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी पथ प्रमंडल पथ निर्माण विभाग, पटना का कार्यालय।
   - (ग) सम्बंधित अवर प्रमंडल पदाधिकारी, नई राजधानी पथ अवर प्रमंडल सं0–1 एवं 2 पथ निर्माण विभाग, पटना का कार्यालय।
6. निविदा प्राप्ति का स्थान/कार्यालय : क्रमांक 5 के अनुसार
7. कार्यों का विवरण –

क्र0 सं0	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि(लाख में)	अग्रधन की राशि (रु0 में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (रु0 में)	कार्य समाप्ति की अवधि	आरक्षण
1	विश्वेश्वरैया भवन परिसर में स्थित 62.5 के0भी0ए0 जेनसेट के लिए शेड का निर्माण कार्य वर्ष 2016–17	₹95,353.00	₹2,000.00	₹500.00	10 दिन	अनुसूचित जाति

विशेष सूचनाएँ :

1. पथ निर्माण विभाग के समुचित श्रेणी यथा स्थानीय अभिकर्त्ता श्रेणी में निबंधित अद्यतन नवीनीकृत संवेदक ही निविदा में भाग ले सकते हैं।
2. कार्यों के प्राक्कलित राशि घट या बढ़ सकती है, तदनुसार अग्रधन की राशि एवं परिमाण विपत्र के मूल्य में परिवर्तन हो सकता है निर्गत किये जाने वाले परिमाण विपत्र/निविदा कागजात में अंकित प्राक्कलित राशि, अग्रधन की राशि एवं परिमाण विपत्र का मूल्य एवं आरक्षण कोटि ही अंतिम और मान्य होगा।
3. निविदा के साथ में निम्न सूचनाएँ एवं कागजात जमा करना अनिवार्य होगा ।
   - (क) वांछित अग्रधन की राशि जो 3/5 वर्ष पोस्ट ऑफिस टर्म डिपोजिट/राष्ट्रीय बचत पत्र आवश्यक निर्गम के रूप में बैंक गारन्टी (प्राक्कलित राशि एक करोड़ एवं उपर की स्थिति मे) जो कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, पटना के पदनाम से प्लेज होना चाहिए।
   - (ख) पोस्ट ऑफिस टर्म डिपोजिट/राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र सिर्फ बिहार राज्य के अन्तर्गत किसी डाकघर का क्रय किया हुआ होना चाहिए जिसकी वैद्यता कार्य अवधि तथा डिफेक्ट लायबिलिटी की अवधि को कभर करता हो।
   - (ग) अपने रजिस्ट्रेशन का पूर्ण ब्यौरा जैसे व्यक्तिगत, संयुक्त, प्रा0 लि0, संख्या आदि।
   - (घ) अद्यतन आयकर प्रमाण पत्र, वैट नम्बर, सेल टैक्स जमा चुकता पत्र, लेबर लाईसेंस आदि।
   - (ङ) विज्ञापित कार्य हेतु अनुभव प्राप्त संवेदकों को प्राथमिकता दी जायेगी।
4. निविदादाताओं को परिमाण विपत्र में कार्य करने का दर प्रतिशत से अधिक/कम या परिमाण विपत्र दर पर करने हेतु अंकित करना होगा।
5. निविदा से संबंधित कार्य के लिए समुचित श्रेणी के संवेदक भी विभाग द्वारा निर्धारित मशीन एवं उपकरण की भाड़ा/दर के भुगतान के विरूद्ध निविदा में भाग ले सकत हैं। कार्य सम्पादन के समय उक्त मशीनरी एवं प्लांट का अद्यतन विभागीय दर (यांत्रिक प्रमंडल के विपत्र पर आधारित) के अनुसार हायर चार्ज की कटौती संवेदक के विपत्र से किया जायेगा। किसी अन्य संवेदक के प्लान्ट से कार्य कराये जाने की स्थिति में प्लांट मालिक का सहमति पत्र देना अनिवार्य होगा।
6. सशर्त्त निविदा अमान्य होगी। साथ ही बिना कारण बताये एक या सभी निविदाओं को रद्द करने अथवा उन्हें एक से अधिक संवेदकों के बीच बाँटने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित है।
7. परिमाण विपत्र आवेदन के साथ संवेदकों को परिमाण विपत्र का मूल्य (जो लौटाया नहीं जायेगा) अद्यतन निबंधन प्रमाण–पत्र, अद्यतन आयकर एवं बिक्री कर सफाया प्रमाण–पत्र, अद्यतन बिक्री कर निबंधन प्रमाण–पत्र, एवं जाति प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा अन्यथा परिमाण विपत्र निर्गत नहीं किया जायेगा। जाति प्रमाण पत्र सिर्फ आरक्षण के मामलें में अनिवार्य है।
8. परिमाण विपत्र का मूल्य (जो लौटाया नहीं जायेगा) बैंक ड्राफ्ट के रूप में स्वीकार किया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी प्रमंडल, पटना के पदनाम से स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, मुख्य शाखा पटना में भुगतेय होगा।
9. आवंटन की प्रत्याशा में निविदायें आमंत्रित की जा रही है। विभाग में आवंटन की उपलब्धता के आधार पर ही प्राथमिकता के अनुरूप संवेदकों से कार्य कराया जायेगा और कराये गये कार्यों का भुगतान किया जायगा। इस संबंध में संवेदकों का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
10. सफल संवेदकों द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत अगर एकरारनामा नहीं किया जाता है तो निविदा के साथ संलग्न अग्रधन की राशि जब्त कर ली जायेगी।
11. एक बार निविदा में भाग लेने के बाद यदि निविदादाता द्वारा कार्य कराने में असमर्थता प्रकट की जाती है तो निविदा के साथ संलग्न अग्रधन की राशि जब्त कर ली जायेगी एवं पुनः निविदा की स्थिति में उन्हें निविदा में भाग नहीं लेने दिया जायेगा।
12. संवेदक निविदा में भाग लेने के पूर्व कार्यस्थल का निरीक्षण कर लें। निविदा प्राप्ति के बाद जहाँ है जैसी है, के आधार पर ही संवेदक कार्यपूर्ण करने के लिये बाध्य होंगें।
13. कोई समय वृद्धि नही दी जायेगी, यह बाध्यता होगी कि कार्य समय पर पूर्ण हो। समय पर संतोषप्रद ढंग से कार्य पूर्ण नहीं होने पर निबंधन को कालीकृत करने की कार्रवाई की जायेगी।
14. निर्धारित तिथि को सरकारी अवकाश घोषित होने की स्थिति में परिमाण विपत्र बिक्री या निविदा प्राप्ति एवं खोलने की तिथि ठीक अगले कार्य दिवसों को निर्धारित समझी जायेगी।
15. परिमाण विपत्र की दर से 10% से अधिक कम दर उद्धत करने वाले निविदाकार की निविदा अमान्य होगी।
16. डिबारमुक्त का शपथ पत्र देना होगा।
17. ₹25/– लाख से अधिक का कार्य अभी तक इस वित्तीय वर्ष में नहीं आवंटित है का शपथ पत्र देना होगा। यह सिर्फ आरक्षण मामलें में अनिवार्य है।
18. विस्तृत जानकारी के लिये अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में कार्य दिवस में सम्पर्क किया जा सकता है।

कार्यपालक अभियंता
नई राजधानी पथ प्रमंडल,
पथ निर्माण विभाग, पटना।